न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 01/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00004

बउनवानीः—

1. हेमराज पुत्र हजारी जाति मीना निवासी उलियाना, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. बन्शी पुत्र हजारी जाति मीना निवासी उलियाना, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. केलाश पुत्री हजारी जाति मीना निवासी उलियाना, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
4. रतनी पुत्री हजारी जाति मीना निवासी उलियाना, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र हनुमान मीना निवासी उलियाना तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. कमलेश पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी उलियाना तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. भारमल पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी उलियाना तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
4. अक्षय कुमार पुत्र हनुमान मीना निवासी उलियाना तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
5. कडी देवी बेवा हनुमान जाति मीना निवासी उलियाना तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
6. किशकन्धा पुत्री हनुमान मीना निवासी उलियाना तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
7. लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील आदेश दिनांक 11.8.2018 जिसके तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा नामा0 संख्या 529 निर्णय दिनांक 3.1.1983 वाके ग्राम उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर को निरस्त कर नोट अंकित किया है के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री इन्साफ अली — वकील अपीलान्ट

2. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— **दिनांक 17.6.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 11.8.2018 को आदेश पारित कर नामा0 संख्या 529 निर्णय दिनांक 3.1.1983 वाके ग्राम उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर को निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि विवादित नामा0 संख्या 529 दिनांक 3.1.1983 काफी पुराना नामा0 है जो नेहन्या की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्रों के नाम विधि अनुसार तस्दीक हुआ है और तस्दीक दिनांक से 30—35 वर्ष तक उक्त नामा0निर्विवाद रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा0 को अवैध तरीके से निरस्त कर भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा0 को निरस्त करने से पूर्व खातेदारान को विधिनुसार कोई नोटिस नही दिये तथा ना ही उक्त संबंध में विधिक जॉच करवायी गयी है तथा धारा 121 लगायत 140 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कोई पालना नही की गयी है। यह तर्क भी दिया कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के निर्णय दिनांक 9.4.2018 के मुताबिक मात्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से पत्र कमांक 8222 दिनांक 7.9.2018 से मार्गदर्शन प्राप्त कर उक्त नामा0 संख्या 529 को निरस्त किया गया जबकि उक्त निर्णय राजस्व मण्डल का अन्तिम निर्णय नही था। मण्डल के उक्त निर्णय की अपील राज. हाईकोर्ट जयपुर मे की गयी थी तथा उसकी सिविल अपील नम्बर 21182/2017 निर्णय दिनांक 9.4.2018 जिसकी अपील एस.बी. सिविल रिट संख्या 619/2018 द्वारा भी की है। उक्त निर्णय के अनुसार माननीय डी.बी. राज. हाई कोर्ट जयपुर मे उक्त नामा0संख्या 529 दिनांक 3.1.1983 के संदर्भ में सिविल न्यायालय सवाईमाधोपुर मे वारिसान घोषित करने हेतु सिविल वाद पेश करने के आदेश पारित किये गये है। उक्त अंतिम निर्णय की पालना में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 6.8.2018 को मुकदमा संख्या 129/18 सिविल न्यायालय सवाईमाधोपुर में दावा पेश कर दिया जो अभी

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विचाराधीन है। उक्त दावें में निर्णय के उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिए था। क्योकि उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर स्वंय पक्षकार थे जिनके नोटिस भी तामील हो चुके थे। इस प्रकार सम्पूर्ण जानकारी के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर जिम्मेदार तरीके से उक्त निर्णय पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि विवादित आराजीयात उसके मूल खातेदार नेहन्या पुत्र बिशन्या के खातेदारी की आराजी थी तथा नेहन्या की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी का नामा0 संख्या 529 दिनांक 3.1.1983 उनके शेष बचे वारिसान के शंकर, गोपी, हजारी के नाम तस्दीक हुआ था। क्योकि नेहन्या के बडे पुत्र चम्पा जो गंगल्या के गोद चला गया था तथा शेष पुत्रों के नाम उक्त नामा0 तस्दीक हुआ है जिस पर रेस्पो. के पिता व उनके बाबा ने अपने जीवनकाल में कोई उज्र पेश नही किया। उनकी मृत्यु के 17 वर्ष बाद रेस्पो. के पिता ने अपील पेश की थी। जिसका दावा न्यायालय मे अभी विचाराधीन है जिसका इन्तजार करना चाहिए था। यह तर्क भी दिया कि खाता संख्या 359 के ख0न0 हाल 84, 1137,1204,1209,1218,1253,1281,1282,1286,1287,1292,1297,1298,1299,1300,1302,1303, 1539, 1574,1575 कुल किता 20 कुल रकबा 4.65 है0, हजारी पुत्र नेहन्या मीना, शंकर पुत्र नेहन्या व गोपी पुत्र नेहन्या हिस्सा 1/3 रिकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी वर्तमान में हजारी पुत्र नेहन्या की खातेदारी व कब्जे काश्त में अंकित होते हुए तथा जिसपर अपीलान्ट की फसल सरसब्ज खडी होने तथा अपीलान्ट का लोंग पजेशन होते हुए भी उक्त नामा0 निरस्त कर दिया है। चूंकि गोपी व शंकर ला–ओलाद फोत हो गये तथा चम्पा व वीरया गोद चले गये है इस कारण विवादित आराजी का एक मात्र वारिश अपीलान्ट के पिता हजारी बचे थे और उक्त नामा0 अपीलान्ट के नाम तस्दीक होना चाहिए था। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी दिनांक 14.11.2018 को अपीलान्ट द्वारा उक्त नामा0 नकल लेने व हल्का पटवारी द्वारा बताने पर जानकारी हुई तथा अपीलान्ट ने दिनांक 14.11.2018 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 16.11.2018 को नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर आदेश जैनर निरस्त फरमाये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

स्वंय रेस्पो. संख्या 2 द्वारा की गयी बहस व वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि उक्त नामा0 संख्या 529 दिनांक 3.1.1983 को मूल खातेदार नहना पुत्र चमना मीना निवासी उलियाना की विरासत को लेकर केवल शंकर, हजारी व गोपी पिसरान नेहना के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया था नेहन्या का पुत्र वीरया पूर्व में ही अन्य के गोद चला गया था इस बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही रहा लेकिन नहना के सबसे बडे पुत्र चम्पाराम जो कि नेहना के पूर्व फोत हो चुका था तथा उसका पुत्र हनुमान मौजूद था लेकि पटवारी हल्का ने चम्पाराम को अन्य के गोद जाना बताते हुए चम्पाराम के पुत्र हनुमान के नाम से नामा0 नही भरा इस प्रकार हनुमान के काका शंकर, हजारी गोपी के बीच मुकदमेबाजी हनुमान बनाम हजारी के नाम से चालू हो गयी उसके बाद हनुमान व हजारी के वारिसान के नाम से मुकदमेबाजी चली है। उक्त नामा0 की सर्वप्रथम अपील रेस्पो. द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गयी थी जो जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.3.2001 को निरस्त हो जाने पर उसकी अपील माननीय न्यायालय अति0सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय मे पेश की जाने पर माननीय न्यायालय अति0सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा दिनांक 24.3.2007 को जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.3.2001 व नामा0संख्या 529 को निरस्त कर नेहन्या की विरासत दाखिल खारिज में नेहन्या के पुत्र चम्पाराम के पुत्र हनुमान मीना का नाम दर्ज किया जावे। अति0 सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के निर्णय दिनांक 24.3.2007 की अपील राजस्व मण्डल अजमेंर मे प्रस्तुत की जाने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी दिनांक 1.6.2016 को निर्णय पारित कर नामा0संख्या 529 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है पक्षकारान की जॉच कर विरासत का नामा0 नियमानुसार तस्दीक करे। जिसकी पालना में न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 22.2.2017 से पूर्व से निर्णित नामा0 संख्या 529 सही भरा गया है जो यथावत रखा जाता है चूंकि नामा0 संख्या 529 में दर्ज शंकर व गोपी पुत्र नेहन्या का नाम हजफ किया जावे। तहसीलदार सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 22.2.2017 की अपील सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

न्यायालय मे पेश की जाने पर माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा दिनांक 10.7.2017 को अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.2.2017 को यथावत रखा गया। माननीय न्यायालय श्रीमान सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.7.2017 की अपील राजस्व मण्डल अजमेंर में प्रस्तुत की जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 31.10.2017 से नामा0 संख्या 529 दिनांक 3.1.1983 को निरस्त कर तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया कि हनुमान पुत्र चम्पालाल के विधिक वारिसान प्रार्थीगण एवं हजारी पुत्र नेहन्या के विधिक वारिसान अप्रार्थीगण के नाम उनके हिस्से मुताबिक नियमानुसार विरासत का नामा0 स्वीकृत किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 31.10.2017 की अपील माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में की गयी जो दिनांक 9.4.2018 को खारिज होने पर उक्त आदेश के विरूद्व डी.बी. सिविल स्पेशल कोर्ट में अपील पेश की गयी जिसको माननीय डी. बी. सिविल स्पेशल कोर्ट ने अपने निर्णय दिंनांक 13.7.2018 से अपील खारिज कर दी गयी है। इस प्रकार उक्त नामा0 संख्या 529 दिनांक 3.1.1983 वाके ग्राम उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के निर्णय दिनांक 31.10.2017 से नामा0 529 को निरस्त किया गया, तथा एस.बी. सिविल रिट संख्या 21182/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 9.4.2018 से राजस्व मण्डल के निर्णय को यथावत रखा गया एवं डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 619/2018 के द्वारा उक्त निर्णय की पुष्टी की जाने पर उक्त संबंध में जिला कलेक्टर महोदय से विधिक राय एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके ही उक्त नामा0 संख्या 529 को निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि नामा0 संख्या 529 दिनांक 3.1.1983 वाके ग्राम उलियाना को दिनांक 11.8.2018 को निरस्त करने की कार्यवाही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के निर्णय दिनांक 31.10.2017 तथा एस.बी. सिविल रिट संख्या 21182/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 9.4.2018 से राजस्व मण्डल के निर्णय को यथावत रखा गया एवं डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 619/2018 के द्वारा उक्त निर्णय की पुष्टी की जाने पर उक्त संबंध में जिला कार्यालय से विधिक राय एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त की गयी है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:39:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: